

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-06/अ0प्र0-2-02/2024- 10511 पटना, दिनांक:-05.10.2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 19300 दिनांक 13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के तहत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग के अधीक्षण अभियंता स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को मुख्य अभियंता के स्तर में विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13 A, पे मैट्रिक्स रू0 1,31,100-2,16,600/-) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	मूल कोटि की संयुक्त वरीयता क्रमांक (2024 के अनुसार)
1.	श्री अनिल कुमार-1/दरभंगा	21

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।


3. अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

4. संबंधित पदाधिकारी द्वारा वर्तमान धारित पद को अगले आदेश तक मुख्य अभियंता (विहित वेतमान वेतन स्तर-13 A) में उत्क्रमित किया जाता है।

5. संबंधित पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियंता के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

6. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की भी वसूली कर ली जायेगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(उमंग)

सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक-06/अ0प्र0-2-02/2024- 10512 पटना, दिनांक:- 05.10.2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिचाई भवन/निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक-06/अ0प्र0-2-02/2024- 10512 पटना, दिनांक:- 05.10.2025

प्रतिलिपि:- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना-7 को भेजने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-06/अ0प्र0-2-02/2024- 10512 पटना, दिनांक:- 05.10.2025

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4 कौटिल्य मार्ग, पटना/संयुक्त सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता /प्रशाखा-2, 3 एवं 6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, SPARROW/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव

